न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 1/2018 (GCMS NO. 2018/00051)

1. मंगलचन्द पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. सीताराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र मालाराम
2. कर्णसिंह पुत्र नानगराम
3. जयसिंह पुत्र नानगराम
4. धर्मपाल पुत्र नानगराम
5. मूलाराम पुत्र नानगराम
6. मेहरचन्द पुत्र नानगराम
7. महावीर पुत्र नानगराम
8. रामकुमार पुत्र नानगराम
9. रामसिंह पुत्र नानगराम
10. किस्तुरी पत्नी भादरराम
11. जगदीश पुत्र पुर्णाराम
12. जयप्रकाश पुत्र मूलाराम
13. ताराचन्द पुत्र बेगाराम
14. दड़की पुत्र पुर्णाराम
15. दरियासिंह पुत्र पुर्णाराम
16. धीरसिंह पुत्र भादरराम
17. बनवारीलाल पुत्र बेगाराम
18. मनरूपचन्द पुत्र किशनाराम
19. सिणगारी पत्नी मनीराम
20. कुरड़ाराम पुत्र मनीराम
21. हेतराम पुत्र मनीराम
22. महेन्द्र पुत्र बीरबलराम
23. मोहन पुत्र गंगाराम
24. राजपाल पुत्र गंगाराम
25. राजवीर पुत्र भादरराम
26. रामनिवास पुत्र भादरराम
27. श्रीचन्द पुत्र किशनाराम
28. शिशराम पुत्र भादरराम
29. सुन्दरदेवी पत्नी बीरबलराम
30. सुभाषचन्द्र पुत्र हनुमान
31. सुरेन्द्र पुत्र पूर्णराम
32. सिणगारी पत्नी गंगाराम
33. जयदेवसिंह पुत्र मोतीराम

34. हरफुलसिंह पुत्र मोतीराम
35. हीराराम पुत्र मोतीराम
36. उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह
37. किताब पुत्री अमरसिंह
38. गिरधारी पुत्र गणपत
39. गोपीचन्द पुत्र हरलाल
40. ताराचन्द पुत्र सुखाराम
41. दयाराम पुत्र गणपत
42. देवकरण पुत्र सुखाराम
43. पूर्णमल पुत्र सुखाराम
44. प्रेमकमार पुत्र हरलाल
45. बजरंग पुत्र हरलाल
46. बनवारी पुत्र हरलाल
47. बरजी पत्नी अमरसिंह
48. भींवाराम पुत्र सुखाराम (दौराने प्रार्थना पत्र मृतक)
    48/1. निहाली देवी पत्नी भींवाराम
    48/2. मनोहरलाल पुत्र भींवाराम
    48/3. सुनिल पुत्र भींवाराम
    48/4. सुशीला पुत्री भींवाराम
49. महेश पुत्र गणपतराम
50. माडुराम पुत्र सुखाराम
51. मोहनलाल पुत्र हरलाल
52. रमेश पुत्र अमरसिंह
53. रामकोरी पत्नी गणपत
54. रोहिताश पुत्र हरलाल
55. विजयकुमार पुत्र सुखाराम
56. शिशराम पुत्र सुखाराम
57. सुभाष पुत्र गणपत
58. सावत्री पत्नी अमरसिंह
59. हरिसिंह पुत्र गणपत
60. हीरालाल पुत्र हरलाल
61. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टमकोर जरिये मैनेजर।
62. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

वकील पक्षकारान
वकील आवेदकगण : श्री विनोद कुमार गिल
वकील अनावेदकगण : श्री जयसिंह गौड़, मो0 रफीक, रजिया बानो

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 24.01.2023

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 8 रकबा 3.90 है0 है, अप्रार्थीगण 2 लगायत 9 की खातेदारी भूमि ख0न0 9 रकबा 1.80 है0 है, अप्रार्थीगण 10 लगायत 32 की खातेदारी भूमि ख0न0 21 है, ख0न0 7 के खातेदार अप्रार्थीगण 33 लगायत 35 है इसी प्रकार ख0न0 1 रकबा 2.69 है0 के खातेदार अप्रार्थीगण 36 लगायत 60 है। प्रार्थना पत्र के सलग्न नजरी नक्शा जो प्रार्थना पत्र का हिस्सा है, में दर्शित बिन्दु ए से लेकर बिन्दु बी तक रास्ता रहा है जो काफी पुराना रास्ता है। जिसको प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने खेतों में आने–जाने केलिये काम में लेते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 60 उक्त प्रचलित रास्ते को 12 फुट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को बिन्दु ए से बिन्दु बी तक पूर्व से प्रचलित उक्त रास्ते को 12 फुट चौडाई में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। रास्ता वर्तमान में मौके पर चालु हालत में है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बिन्दु ए से बिन्दु बी तक कदीमी प्रचलित रास्ते को 12 फुट चौड़ा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1, 10 लगायत 36, 38 लगायत 47, 48/1 लगायत 48/4, 50 लगायत 56, 59 व 60 की ओर से एडवोकेट जयसिंह गौड़, 5व 8 की ओर से एडवोकेट रजिया बानो व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व 7 की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया। परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया। अनावेदकगण संख्या 6, 9, 37, 49, 57, 58 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 6,9,37,49,57,58 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने एवं तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने मुताबिक प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक कदीमी प्रचलित रास्ते को 12 फुट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुरोध किया। तहसीलदार मलसीसर ने प्रचलीत कदीमी रास्ते को 12 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्ताव तैयार कर पेश किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदकगण व अनावेदकगण अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में प्रचलित कदीमी रास्ते को 12 फुट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। जिसके लिए पक्षकारान सहमत है। तहसीलदार मलसीसर ने भी उक्त प्रचलीत कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्ताव भिजवाये है। अतः तथ्यों एवं पक्षकारान की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण व अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 1, 7, 8, 9 व 21 में से होकर गुजरने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते को तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर के प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार मलसीसर तदनुसार प्रचलित रास्ते को 12 फुट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.01.23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर